

# न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

दाखिल खारिज अपील वाद संख्या-09/2020-21

श्यामदेव प्र० साहू ..... प्रथम पक्ष

बनाम्

झारखण्ड सरकार एवं अन्य ..... द्वितीय पक्ष

## आदेश

आवेदक श्यामदेव प्रसाद साहू, पिता- स्व० रामकिशुन साव, ग्राम- हेसला, थाना- बगोदर, जिला- गिरिडीह द्वारा समर्पित आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, बगोदर द्वारा दाखिल-खारिज वाद संख्या 49 R27/2018-19 में पारित आदेश के विरुद्ध अपील वाद की कार्यवाही प्रारम्भ किया गया है। जिसका जमीन संबंधी विवरण निम्नवत् है :-

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा
हेसला	104	66	1922	02 डी०

अभिलेख में संलग्न अंचल कार्यालय बगोदर के दाखिल खारिज वाद संख्या 49 R27/2018-19 में दिनांक 20.06.2019 को पारित आदेश में उल्लेख किया गया है कि आवेदक द्वारा खतियान उपलब्ध नहीं करवाया गया इस कारण नामान्तरण वाद को अस्वीकृत किया गया है। आवेदक द्वारा अपने कारण पृच्छा में उक्त भूमि से संबंधित केवाला एवं खतियान की प्रति उपलब्ध कराया गया है एवं उक्त खाता/प्लॉट की ऑनलाईन इन्ट्री भी दर्ज होने संबंधी कागजात प्रस्तुत किया है।

तदनुसार अंचल अधिकारी, बगोदर द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्या 49 R27/2018-19 में दिनांक 20.06.2019 को पारित आदेश से सहमत नहीं होते हुए पुनः नामान्तरण हेतु अंचल अधिकारी बगोदर को remand किया जाता है। आवेदक पुनः ऑनलाईन आवेदन कर सभी document को upload करते हुए खतियान की प्रति अंचल कार्यालय में उपलब्ध करायेंगे।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता

बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

भूमि सुधार उपसमाहर्ता  
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)